

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी०

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

संलग्न है

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/ 2015-16

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय जिला योजना के अन्तर्गत कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 584/XXVII/(1)/2015 वित्त अनुभाग-1 में 2015 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग को वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में जिला योजना के अन्तर्गत सामान्य संख्या-07) में कुल धनराशि रु0 335868000 एस0सी0पी0 (अनुदान संख्या-30) में धनराशि रु0 70796000 एवं (अनुदान संख्या-31) में कुल धनराशि रु0 455000 जिनका कुल योग रु0 407119000 है, जो कि वित्तीय एवं स्वीकृति हेतु अधोस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखी गई है।

जिला योजना के अन्तर्गत संचालित नई योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2015-16 धनराशि अवमुक्त कर ली जाय।

वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग एवं पूल्ल आवास का अनुमोदित परिव्यय 880.28 लाख रु0 के सापेक्ष नई हेतु सामान्य (अनुदान संख्या-7) में 356.54 लाख रु0 (तीन करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार रु0 मात्र) एवं एस0पी0(अनुदान संख्या-30) में 83.60 लाख रु0 (तिरासी लाख साठ हजार रु0) कुल 440.14 लाख रु0 (चार करोड़ लाख चौदह हजार रु0 मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उक्त बजट की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर मात्राकृत अंशोोजनागत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा।

अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृति की जा रही है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त की ली जायें।

किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 अधिप्राप्ति अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (वि0 मैनुअल) तथा शासनादेश वित्त (वि0 आ0- सा0नि0)- अनुभाग-7 के पत्र संख्या 80/ XXVII(7)/2008 दिनांक 15 जून 2015 द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेट/संशोधन) नियमावली, 2015 के सुसंगत वित्तीय नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जायेगा। योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण नियोजन विभाग एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के कराये जा रहे विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

धनराशि का उपयोगोपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय विवरण एवं उपयोजिता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग तथा प्रशासकीय विभाग/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्र0स0 लो0नि0
रुद्रप्रयाग

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विभागीय मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये। निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण का निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष का होगा।

योजनाओं की माहवार / भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 3 तारीख तक जनपदीय नियोजन विभाग / मण्डल / शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना में जनपदवार अनुमोदित प्लान आलेख एवं योजना के अनुसार धनराशि का आहरण एवं उपयोग की तत्काल आवश्यकता है। आहरित धनराशि का व्यय दिनोंक 31-03-2016 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।

सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 584/XXVII/(1)/2015 वित्त अनुभाग-1 दिनांक 14 मई 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी (जिला योजना) एवं कार्यालयध्यक्ष का होगा।

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनोंक 24 मार्च 2008 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलास्तर/मण्डलस्तर पर गठित तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति से योजनाओं के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही इन योजनाओं पर धनराशि व्यय की जाय।

शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष को बुक ट्रॉसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।

सम्बन्धित विभाग ऑन लाईन बजट आवंटन के पश्चात अपने डी0डी0ओ0 मॉड्यूल से बजट को पी0एल0ए0/डी0सी0एल0 में स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

उक्त बजट आवंटन अनुदान संख्या-7 (सामान्य) लेखा शीर्षक 2515-102-12-00-91 मानक मद 42 अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत सामान्य (अनुदान संख्या-07) अलोटमेंट आईडी H1512070510 एस0सी0एस0पी0 (अनुदान संख्या-30) अलोटमेंट आईडी H1512300511 दिनोंक 08 दिसम्बर 2015 के द्वारा व्यय किया जायेगा।

पत्रांक 786 / जि0यो0 / 2015-16 तददिनोंकित।

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- सचिव, वित्त (बजट अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, 100/6 नैशविला रोड देहरादून।
- 6- प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 9- अर्थ एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

जिला योजना में जनपदवार धनराशि का आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना में जनपदवार धनराशि का व्यय दिनोंक 31-03-2016 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।

सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 584/XXVII/(1)/2015 वित्त अनुभाग-1 दिनांक 14 मई 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी (जिला योजना) एवं कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनोंक 24 मार्च 2008 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलास्तर/मण्डलस्तर पर गठित तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति से योजनाओं के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही इन योजनाओं पर धनराशि व्यय की जाय।

शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

किसी भी दशा में पी०एल०ए० से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।

सम्बन्धित विभाग ऑन लाइन बजट आवंटन के पश्चात अपने डी०डी०ओ० मॉड्यूल से बजट को पी०एल०ए०/डी०सी०एल० में स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

उक्त बजट आवंटन अनुदान संख्या-7 (सामान्य) लेखा शीर्षक 2515-102-12-00-91 मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत सामान्य (अनुदान संख्या-07) अलोटमेंट आईडी H1512070510 एवं एस०सी०ए०पी० (अनुदान संख्या-30) अलोटमेंट आईडी H1512300511 दिनोंक 08 दिसम्बर 2015 के द्वारा व्यय किया जायेगा।

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि -

जि०यो०/2015-16 तदुद्दिनांकित।

- 1- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल प्रौडी।
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- सचिव, वित्त (बजट अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, 100/6 नैशविला रोड देहरादून।
- 6- प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 9- अर्थ एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग।

Photo Copy Attested

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

		जिला योजना सामान्य कार्य	जिला योजना सामान्य कार्य	जिला योजना सामान्य कार्य
		(किमी० मी)	(लाख रु० म)	(लाख रु० म)
10नि0वि0	गंगतल झूला पुल के इरैक्शन एवं आरसीसी जैकटिंग का कार्य	L.S.	60.00	60.00 ✓
10नि0वि0	चमरवाडा गदेरे पर पुलिया के अवशेष कार्य	L.S.	5.00	5.00 ✓
10नि0वि0	सिल्ली में अस्थाई झूला पुल के अवशेष कार्य ①	L.S.	18.00	18.00 ✓
10नि0वि0	राष्ट्रीय राज मार्ग पर सिल्ली में अस्थाई झूला पुल व एन0एच0 के मध्य धारक दीवार का निर्माण ✓	L.S.	17.00	17.00 ✓
10नि0वि0	राष्ट्रीय राज मार्ग के किमी० 20 में बेडूबगड स्थित पेट्रोल पम्प के पास वाईपास (वैकल्पिक) मार्ग का निर्माण।	L.S.	6.50	6.50 ✓
10नि0वि0	ब्लॉक जखोली में बछुवांड-चौरा मोटर मार्ग का ग्राम कपणियां तक विस्तार	0.80	41.44	10.00 ✓
10नि0वि0	खुजीर रोड से चौकी बर्सिल मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	51.80	10.00 ✓
10नि0वि0	गंगतल-डांगी-बैजी मोटर मार्ग के प्रारम्भिक भाग में धारक दीवार, सतह सुधार एवं नाली निर्माण कार्य।	L.S.	10.00	10.00 ✓
10नि0वि0	विकास भवन के पहुंच मार्ग का डामरीकरण	2.00	69.40	30.00 ✓
10नि0वि0	ब्लॉक जखोली में जी०एम०वी०एन० के पहुंच मार्ग का सुवृद्धीकरण ②	0.30	10.41	10.41 ✓
10नि0वि0	जाखोली से टेण्डवाल तक मोटर मार्ग का निर्माण ✓	1.00	10.00	0.00 ✓
10नि0वि0	पोठी से शमशान घाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	L.S.	4.78	8.00 ✓
10नि0वि0	ग्राम थपलगांव द्यूका से द्वारीधार तक सीसी निर्माण	Job	15.00	11.63 ✓
10नि0वि0	सुमाडी-कण्डाली पुल से सूर्यप्रयाग मन्दिर तक मोटर मार्ग का प्रतिकर एवं अवशेष कार्य।	Job	15.00	10.00 ✓
10नि0वि0	ग्राम पाटियों में आरसीसी खडिजा मार्ग निर्माण	Job	15.00	9.00 ✓
10नि0वि0	ग्राम पंचायत मथ्यागांव के नौगाड गदेरे पर पुलिया निर्माण	Job	10.00	10.00 ✓
10नि0वि0	रतनपुर-स्वीली-जवाडी मोटर मार्ग से आगे चौदार से बागा कण्डारा तक मोटर मार्ग	Job	10.00	0.00 ✓
10नि0वि0	नगरासू बंगला से बीना तक खडिजा मार्ग निर्माण ③	Job	15.00	10.00 ✓
10नि0वि0	सुमेरपुर पुल से डूंगरी गांव लाटा बीठा तक खडिजा मार्ग निर्माण	Job	15.00	10.00 ✓
10नि0वि0	जीआईसी रुद्रप्रयाग के पहुंच मार्ग पर रेलिंग एवं नाली निर्माण। ④	Job	8.00	8.00 ✓

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०दि०
रुद्रप्रयाग